GHATAMPUR TRANSMISSION LIMITED

644 & 644A, Lakhanpur Co-operative Housing Society, Vikas Nagar, Kanpur, Pin Code- 208026 U.P.

Contact No.: 0512-2581545 **Email-fc@gtlup.com**

The State Nodal Officer, **15th October, 2019**
U.P. Forest Department,
Aranya Bhawan,
17, Rana Pratap Marg,
Lucknow-226001.

Subject : Proposal for diversion of forest land proposed to be diverted for construction 765 kV S/C Agra-Greater Noida Transmission Line passing through Agra, Firozabad, Hathras, Aligarh, Etah, Bulandshahar & Gautam Budh Nagar Districts.

Reference: EDS dated 09.09.2019 on Forest land diversion proposal No. FP/UP/TRANS/41685/2019

Dear Sir,

This has reference to the EDS raised by your good office on the above referred proposal. The point wise reply to the shortcomings pointed out is given below:

S. No.	EDS raised	Reply
1	Etah District- Agra-Jalesar road is not included in forest land requirement.	DFO Etah has confirmed that side strips of Agra-Jalesar road are not declared as Protected Forest. A copy of the letter is enclosed.
2	Firozabad District- Railway track ahead of Hirangoan and Latifpur is not included in forest land requirement.	DFO Firozabad has confirmed that the side strips of referred railway tracks are not declared as Protected Forest. A copy of the letter is enclosed.
3	Aligarh District- (a) Gonda-Aligarh road and (b) Khair-Somna road are not included in forest land requirement.	DFO Aligarh has confirmed side strips of Gonda-Aligarh road & Khair-Somna road are not declared as Protected Forest. A copy of the letter is enclosed.
4	Hathras District- (a) Railway line between Pora and jalesar road Station, (b) State Highway-33 has been taken as PF on one side only	After re-inspection of the sites & examination of office records, DFO Hathras has confirmed following: a) Side strips of Hathras- Hathras

	whereas line is crossing on both side of the road and (c) Railway line before this point of SH-33.	Kila Railway line has been declared as Protected Forest & has now been included in the forest area. b) Since there is a railway track adjacent to shoulder (second side) of SH-33 without any gap, only one side of SH-33 has been taken as Protected Forest. c) Side strips of Kasganj- Achhnera railway line (before SH-33) has been found to be declared as Protected Forest & has now been included in the forest area. A copy of the letter & signed notification is enclosed.

Necessary corrections have been made to the proposal as directed vide EDS raised by your good office on 09.09.2019.

We request you to kindly accept our proposal for further processing to enable us in obtaining approval of the Competent Authority u/S 2(ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980.

Regards,

For Ghatampur Transmission Limited

Ghatampur Transmission Ltd. Kanpur

Authorised Signatory

Encls.: As above

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 1208 /14–10, अलीगढः दिनांकः सितम्बर, 30 ,2019

सेवामें,

मैनेजर–ट्रांसमिशन,
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड,
हाउस नं0– बी–218, सिगमा–1,
गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश–201310।

विषयः– **765 के0वी0 एस0/सी0 आगरा–ग्रेटर नोएडा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति से अवगत कराने सम्बन्धी।**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक GTL/Feb/Forest/2019/60 dated 25.02.2019 एवं GTL/Sep/Forest/296 dated 18.09.2019

उपरोक्त विषयक मार्ग का निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी, खैर रेंज एवं इगलास रेंज द्वारा आपके प्रतिनिधि के साथ दिनांक 03.04.2019 एवं 28.09.2019 को किया गया, निरीक्षण के उपरांत निम्न प्रकार भूमि की वैधानिक स्थिति अथवा Demarcation of notified and non-notified forest area का विवरण निम्न प्रकार है।

S.no.	Proposed roads	Area (in ha.)	Notified/Non notified	Affected trees
1	SH-22A(Palwal-Aligarh) Near Village Andla	0.1359	Protected Forest (Notified)	24
2	Ganga Canal (Mant Branch) Near Village- Utwara	0.2664	Protected Forest (Notified)	16
3	Aligarh Mathura Road Km 13 BB	0.1441	Protected Forest (Notified)	24
4	Khair- Somna Road km 06	0.1441	Non-Protected (Non notifed)	11
5	Gonda Aligarh Road km 12	0.1441	Non-Protected (Non notifed)	7
	Total-	0.8346		82

(टी0एन0 सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपिः–1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, खैर रेंज को उनके पत्रांक 153/14–1 दि0 09.04.2019 एवं 44/14–10 दि0 27.09.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास रेंज को उनके पत्रांक 52/14–1 दि0 10.04.2019 एवं 22/14–10 दि0 30.09.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(टी0एन0 सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

Ghatampur Transmission Kanpur
05.10.2019
NAVNEET CHADDA
KANPUR

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक 1032/14–1 दिनांक, एटा, ~~सितम्बर~~, 04-10-- ,2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
घाटमपुर ट्रांसमिशन लाइन,
765 के0वी0 सिंगल सर्किट,
नोयडा।

विषयः **संयुक्त निरीक्षण।**

संदर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक दिनांक रहित।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, जलेसर के पत्रांक–21/14–1 दिनांक 03.10.2019 द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराना है कि पारेषण लाइन 765 के0वी0 सिंगल सर्किट जलेसर–आगरा मार्ग के कि0मी0 37 – 38 के मध्य से क्रास हो रही है। शासन द्वारा उक्त मार्ग को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

भवदीय,

04/10/19

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, जलेसर को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

Ghatampur Transmission Kanpur 05.10.2019

NAVNEET CHADDA
KANPUR

Scanned with

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,फिरोजाबाद।

पत्रांक 96/14-4 फिरोजाबादःदिनांकःसितम्बर 27-9. 2019।

सेवा में

प्रबन्धक,
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड,
बी0 218 सिग्मा–1 गोमतवुद्धनगर, उ0प्र0

विषयः– आगरा से नोयडा 765 के0वी0 सिग्गंल सर्किट लाइन निर्माण में प्रभावित वन भूमि के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय की पत्र सं0– 290/14–1 दिनांक 09.08.2019.

महोदय,

विषयक प्रकरण की जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी टूण्डला से टूण्डला रेंज के पड़ने वाले प्रभावित संरक्षित क्षेत्र का दिनांक 13.9.2019 पुनः संयुक्त निरीक्षण कराया गया। जिसमें इस कार्यालय की पत्र स0 290/14–1 दिनांक 09.08.2019 द्वारा पूर्व की प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार टूण्डला रेंज के अन्तर्गत 0.38448 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं फिरोजाबाद रेंज के अन्तर्गत 0.6189650 हे0 आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है तथा 17 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। आप अवगत ही होंगे कि संरक्षित/आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार से एवं टी0टी0 जेड़ क्षेत्र में वृक्षों के पातन हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेना अनिवार्य है।

अतः आप उपरोक्तानुसार संरक्षित एवं आरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार की वेब साइट htt /Parivesh.Nic IN पर ऑन लाइन आवेदन करें ताकि आपके प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके तथा साथ में 3 प्रतियों का प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(उमा शंकर दोहरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,फिरोजाबाद

Ghatampur Transmission
Kanpur
05.10.2019
NAVNEET CHADDA
KANPUR

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक:– 1086/14–1, हाथरस दिनांक: अक्टूबर, 4 2019

सेवा में,

मैनेजर ट्रांसमिशन,
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड,
हाउस नं0–बी–218, सिगमा–1
गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।

विषय :– 765 के0बी0 एस0/सी0 आगरा–ग्रेटर नोएडा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति से अवगत कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक: **GTL/Feb/Forest/2019/61** दिनांक 27.02.2019 एवं **GTL/Sep/Forest/297** दिनांक 20.09.2019

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में विषयान्तर्गत मार्ग का निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी, सादाबाद एवं हाथरस द्वारा आपके प्रतिनिधि के साथ दिनांक 01.05.2019, 08.04.2019 एवं दिनांक 01.10.2019 को किया गया, उनकी निरीक्षण आख्या/जांच रिपोर्ट के अनुसार भूमि की वैधानिक स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	प्रस्तावित मार्ग	प्रभावित क्षेत्रफल (है0 में)	भूमि की वैधानिक स्थिति	प्रभावित वृक्ष
1	आगरा–अलीगढ़ मार्ग किमी0 179 दोनों पटरी	0.213888	संरक्षित वन भूमि	30
2	बरेली–मथुरा मार्ग किमी0 216 बांयी पटरी	0.0726	संरक्षित वन भूमि	04
3	गंगा कैनाल (नहर हाथरस ब्रांच मील) ग्राम मैण्डू के पास	0.510272	संरक्षित वन भूमि	40 पौधे
4	गंगा कैनाल (नहर हाथरस ब्रांच मील) ग्राम लाड़पुर के पास	0.2915	संरक्षित वन भूमि	55 पौधे
5	गंगा कैनाल (नहर हाथरस ब्रांच मील) ग्राम जाफराबाद के पास	0.2784	संरक्षित वन भूमि	35 पौधे
6	गंगा कैनाल (नहर हाथरस ब्रांच मील) ग्राम उधैना के पास	0.13408	संरक्षित वन भूमि	50 पौधे
7	बरेली–मथुरा मार्ग किमी0 216 दांयी पटरी (रेलवे क्रॉसिंग)	0.0896	संरक्षित वन भूमि	06
8	हाथरस किला से हाथरस जंक्शन रेलवे क्रॉसिंग	0.1184	संरक्षित वन भूमि	–
	योग	**1.70874.**		**40 वृक्ष एवं 180 पौधे**

अतः आप वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत ऑनलाइन कर प्रस्ताव 6 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(एम0के0 शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक: /14–, दिनांकित

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय वनाधिकारी, हाथरस एवं सादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

Ghatampur Transmission Kanpur 05.10.2019 NAVNEET CHADDA KANPUR

(एम0के0 शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

परिशिष्ट – 3.10
वन विभाग अनुभाग –2
9 मई, 1977 ई0

चूंकि सरकारी अधिसूचना संख्या 104/चौदह–2–503–77 दिनांक 9 मई, 1977 द्वारा ख्या 104/(2)/14–2–503–77 उक्त अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित उत्तर प्रदेश में रेलवे के दोनों ओर की सीमांकित सरकारी बंजर भूमि की समस्त पट्टियों को चाहे उन पर वृक्ष लगे हों या नहीं, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–29 के अधीन संरक्षित वन घोषित किया गया है।

अतएव अब राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके –

क– इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से उक्त भूमि पर लगे हुए समस्त वृक्षों को आरक्षित घोषित करते हैं और,

ख – उक्त दिनांक से ऐसे किसी वन में पत्थर की खुदाई करने, चूने या लकड़ी के कोयले को फूंकने या ऐसे किसी वन उपज का संग्रह करने या उस पर कोई विनिर्माण प्रक्रिया करने या उसे हटाने और भवन निर्माण या पशुओं के गोल रखने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी ऐसे वन में भूमि तोड़ने या साफ करने को प्रतिबन्धित करते है ।

संख्या 104/चौदह –2–503–77 दिनांक 9 मई, 1977 भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा–29 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे के दोनों तरफ के सरकारी वन या बंजर भूमि की पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष लगे हों या नहीं, संरक्षित वन घोषित करते हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय–4 और धारा–68 के उपबन्ध लागू होंगे ।

ह0/

(एन0पी0 त्रिपाठी)
सचिव

अनुसूची

पट्री का नाम	विवरण और स्थिति
रेलवे	प्रबन्ध के लिए वन विभाग को अन्तरित उत्तरी रेलवे के निम्नलिखित सेक्शन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि **मुरादाबाद – डिवीजन** 1. रायवाला – ऋषिकेश 2. नजीबाबाद – कोटद्वार 3. मुआज्जमपुर नारायन – गजरौला 4. रामगंगा–चनेहटी 5. रोजा–सीतापुर 6. सीतापुर–बालामऊ–उन्नाव 7. लक्सर–देहरादून 8. अलीगढ़–चन्दौसी

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस।

Kanpur Transmission
06.12.2019
NAVNEET CHADDA
KANPUR

9. मुरादाबाद–चन्दौसी

लखनऊ डिवीजन :–

1. रायबरेली –ऊंचाहार–फाफामऊ
2. फाफामऊ–इलाहाबाद
3. फाफामऊ–जुघई–जाफराबाद
4. जाफराबाद–अकबरपुर
5. अकबरपुर–टांडा
6. फैजाबाद–अकबरपुर
7. उतरौडिया–फैजाबाद
8. कानपुर सेंट्रल–उन्नाव –लखनऊ

इलाहाबाद डिवीजन –

1. हाथरस–हाथरस किला
2. शिकोहाबाद–फर्रूखाबाद
3. चुनार–चोपन
4. टुण्डला–यमुनापुल

आज्ञा से,
(एन0पी0 त्रिपाठी)
सचिव

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस।

Kanpur Transmission
05.10.2019
NAVNEET CHADDA
KANPUR

विज्ञाप्ति सं. 8109/14—2—503—77 दिनांक 25 जनवरी, 1979,

भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम सं. 16, 1927) की धारा 29 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे के दोनों तरफ के सरकारी वन या बंजर भूमि की पट्टियों को चाहे उन पर वृक्ष लगे हो या नहीं, संरक्षित वन घोषित करते हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और धारा 68 के उपबन्ध लागू होगे।

अनुसूची		
पट्टी का नाम		प्रबंध के लिये वन विभाग को हस्तांतरित रेलवे के निम्नलिखित सेक्शन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि।
इज्जतनगर मण्डल		
1.	रावतपुर से फर्रूखाबाद	
2.	फर्रूखाबाद से कासगंज	
3.	कासगंज जक्शन से अछनेरा	
4.	कासगंज जक्शन से बरेली	
5.	बरेली जक्शन से काठगोदाम	
6.	भोजीपुरा से मैनाली	
7.	पीलीभीत से टनकपुर	
8.	मथुरा जक्शन से वृन्दावन	
9.	पीलीभीत से भाहजहाँपुर	
10.	सहवाजनगर से फरेगंज	
11.	मुरादाबाद से काशीपुर	
12.	काशीपुर से रामनगर	
13.	लालकुआँ से काशीपुर	
14.	मन्थना से जहांवत	
15.	इज्जतनगर से सहमतगंज	
16.	इज्जतनगर से कल्हसकगंज	

आज्ञा से
एन.पी.त्रिपाठी,
सचिव।

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस।

Kanpur Transmission
Kanpur
08.10.2019
NAVNEET CHADDA
KANPUR

Scanned with